Helpline No.:-(+91)-7597122440
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551–75

क्रमांक : प()जरारासंविवि/परीक्षा–गोप./2020/ 436 दिनांक : 15/12/2020

कार्यालय आदेश

दिनांक 07.11.2020 को आयोजित विद्यापरिषद् की 28 वीं बैठक निर्णयानुसार परीक्षा वर्ष 2020 के परीक्षार्थियों हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किए जाते हैं।

1. शास्त्री प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों को आगामी कक्षा (द्वितीय वर्ष) में प्रोन्नत करने का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। इन परीक्षार्थियों द्वारा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इनकी तृतीय वर्ष की अंकतालिका में प्रथम वर्ष के प्राप्तांक कॉलम में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कुल प्राप्तांकों के औसत अंक प्रदर्शित किये जाएंगे। प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करते समय जारी प्रमाण–पत्र में औसत अंक प्रदान करने बाबत उल्लेख किया जाएगा। पृथक् से प्रथम वर्ष की अंकतालिका जारी नहीं की जाकर उक्त प्रमाण–पत्र ही अंक तालिका के स्थान पर वैकल्पिक वैध प्रपत्र माना जाएगा।
2. शास्त्री द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को आगामी कक्षा (तृतीय वर्ष) में प्रोन्नत करने का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। इन परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इनकी तृतीय वर्ष की अंकतालिका में द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक कॉलम में प्रथम एवं तृतीय वर्ष के कुल प्राप्तांकों के औसत अंक प्रदर्शित किये जाएगें। द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करते समय जारी प्रमाण–पत्र में औसत अंक प्रदान करने बाबत उल्लेख किया जाए। पृथक् से द्वितीय वर्ष की अंकतालिका जारी नहीं की जाकर उक्त प्रमाण–पत्र ही अंक तालिका के स्थान पर वैकल्पिक वैध प्रपत्र माना जाएगा। स्नातक स्तर द्वितीय वर्ष में जिन परीक्षार्थियों के प्रथम वर्ष के प्रश्न–पत्र बकाया (Due) है, उन्हें परीक्षा 2021 में तृतीय वर्ष की परीक्षा के साथ अवसर प्रदान किया जाएगा।
3. आचार्य प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों को आगामी कक्षा (द्वितीय वर्ष) में प्रोन्नत करने का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। इन परीक्षार्थियों द्वारा आचार्य द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इनकी द्वितीय वर्ष की अंकतालिका में प्रथम वर्ष के प्राप्तांक कॉलम में द्वितीय वर्ष में कुल प्राप्तांकों के औसत अंक प्रदर्शित किये जाएंगे। आचार्य प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करते समय जारी प्रमाण–पत्र में औसत अंक प्रदान करने बाबत उल्लेख किया जाए तथा पृथक् से आचार्य प्रथम वर्ष की अंकतालिका जारी नहीं की जाकर उक्त प्रमाण–पत्र ही अंक तालिका के स्थान पर वैकल्पिक वैध प्रपत्र माना जाए।
4. संयुक्ताचार्य द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, योग पाठ्यक्रम बी.ए./बी.एस.सी. द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। इन परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इनकी तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की अंकतालिका में क्रमशः द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक कॉलम में प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के औसत एवं पंचम सेमेस्टर के प्राप्तांक कॉलम में तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के औसत अंक प्रदर्शित किये जाएगें। द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को

प्रोन्नत करते समय जारी प्रमाण–पत्र में औसत अंक प्रदान करने बाबत उल्लेख किया जाएगा। पृथक् से द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की अंकतालिका जारी नहीं की जाकर उक्त प्रमाण–पत्र ही अंक तालिका के स्थान पर वैकल्पिक वैध प्रपत्र माना जाएगा।

5. संयुक्ताचार्य अष्टम सेमेस्टर एवं योग पाठ्यक्रम एम.ए./एम.एस.सी. द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। इन परीक्षार्थियों द्वारा संयुक्ताचार्य नवम एवं योग पाठ्यक्रम एम.ए./एम.एस.सी. तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इनकी संयुक्ताचार्य नवम एवं योग पाठ्यक्रम एम.ए./एम.एस.सी. तृतीय सेमेस्टर की अंकतालिका में क्रमशः संयुक्ताचार्य अष्टम सेमेस्टर के प्राप्तांक कॉलम में सप्तम एवं नवम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के औसत एवं एम.ए./एम.एस.सी. द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक कॉलम में एम.ए./एम.एस.सी. प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के औसत अंक प्रदर्शित किये जाएगें। संयुक्ताचार्य अष्टम एवं एम.ए./एम.एस.सी. द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करते समय जारी प्रमाण–पत्र में औसत अंक प्रदान करने बाबत उल्लेख किया जाएगा। पृथक् से संयुक्ताचार्य अष्टम एवं एम.ए./एम.एस.सी. द्वितीय सेमेस्टर की अंकतालिका जारी नहीं की जाकर उक्त प्रमाण–पत्र ही अंक तालिका के स्थान पर वैकल्पिक वैध प्रपत्र माना जाएगा।

6. शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन महाविद्यालय में करवाया जाएगा। शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष की सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। इन परीक्षार्थियों द्वारा शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इनकी द्वितीय वर्ष की अंकतालिका में प्रथम वर्ष के प्राप्तांकों के कॉलम में द्वितीय वर्ष की सैद्धान्तिक परीक्षाओं में प्राप्तांक एवं प्रथम वर्ष के आन्तरिक एवं बाह्य प्राप्तांकों के औसत अंक प्रदर्शित किये जाएगें तथा पृथक से शिक्षाशास्त्री प्रथम की अंकतालिका जारी नहीं की जाकर प्रमाण–पत्र ही अंकतालिका के स्थान पर वैकल्पिक वैध प्रपत्र माना जाएगा।

7. शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्ष (अन्तिम वर्ष) की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा (आन्तरिक एवं बाह्य) पूर्व यथावत आयोजित की जावेगी।

8. शिक्षाचार्य द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। इन परीक्षार्थियों द्वारा क्रमशः तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीण करने पर इनकी तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के कुल प्राप्तांको के औसत अंक प्रदर्शित किये जाएगें। द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करते समय जारी प्रमाण–पत्र में औसत अंक प्रदान करने बाबत उल्लेख किया जाएगा तथा पृथक से द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर की अंकतालिका जारी नहीं की जाकर उक्त प्रमाण–पत्र ही अंकतालिका के स्थान पर वैकल्पिक वैध प्रपत्र माना जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक